न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय
अपर मुख्य न्या0 दण्डाधिकारी
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

परिवाद वाद सं0-490c/10
सीआईएस संख्या -603/15
दिनांक 13.02.2024

आदेश

रामदेव महतो वल्द स्व0 अनवत महतो साकिन जागापाकड़ थाना हरसिद्धि जिला–पूर्वी चम्पारण।

बनाम

1.अमिरका महतो वल्द स्व0 अनवत महतो
2. चंद्रावति देवी जौजे अमरिका महतो
3. चंद्रिका महतो वल्द स्व0 अनवत महतो
4. सीमा देवी जौजे चंद्रिका महतो
5. शत्रुधन महतो वल्द अमिरका महतो
6. सहन महतो वल्द अमिरका महतो
7. दास महतो वल्द चंद्रिका महतो
सभी साकिन जागापाकड थाना हरसिद्धि जिला–पूर्वी चम्पारण।

13-02-2024

वाद पुकारा गया। मामला उपस्थिति पर निर्धारित है प्रस्तुत मामले में यह वाद दिनांक 02.03.2010 को परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में दिनांक 09.07.2010 को सभी अभियुक्तो के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 323, 504, 379 में संज्ञान लिया गया । मामले में समन दिनांक 25.08.10 को निर्गत किया गया दिनांक 05.10.2015 को जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। दिनांक 27.01.2016 को अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया, दिनांक 22.04.2016, को धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा निर्गत की गयी तत्पश्चात दिनांक 17.08.2016 को धारा 83 द0प्र0सं0 निर्गत किया गया । मामले में अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण कराने में प्रशासन असफल रहा ।पुनः दिनांक 04.04.2019 को डीओ लेटर निर्गत किया गया । पुनः मामले में दिनांक 26. 02.2020 को न्यायालय द्वारा वरीय पुलिस पदाधिकारी से तामिला समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया इस संबंध में दिनांक 08.11.2023 को पुनः पत्र निर्गत किया गया परंतु किसी तरह का कोई भी तामिला प्राप्त नहीं हुआ । मामला 14 वर्ष पुराना है परन्तु न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पश्चात भी मामले में अभियुक्तगण को न्यायालय प्रस्तुत नहीं किया गया। यह पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की लापरवाही तथा अभियुक्तगण से मिलीभगत एवं अकर्मण्यता का द्योतक है। मामले में आज तक अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी । आज तक अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की उपस्थिति की कोई संभावना नहीं है अतः मामले में अभियुक्तगण **1.अमिरका महतो वल्द स्व0 अनवत महतो 2. चंद्रावति देवी जौजे अमरिका महतो 3. चंद्रिका महतो वल्द स्व0 अनवत महतो 4. सीमा देवी जौजे चंद्रिका महतो 5. शत्रुधन महतो वल्द अमिरका महतो 6. सहन महतो वल्द अमिरका महतो 7. दास महतो वल्द चंद्रिका महतो सभी साकिन जागापाकड थाना हरसिद्धि जिला–पूर्वी चम्पारण।** को माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 952/1979 के छः सूत्रीय दिशा–निर्देशों के आलोक में फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा तत्पश्चात अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

दिनांक 13.02.2024
अरेराज, पूर्वी चम्पारण

लेखापित

मनीष कुमार पाण्डेय
अपर मु0न्या0दंडा0
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।